"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारी को, आवंटन वर्ष से नौ वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2011 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2011) से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/-) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. रोहित यादव, (सीजी: 2002)	कलेक्टर, रायपुर	कलेक्टर, रायपुर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	डॉ. कमलप्रीत सिंह, (सीजी: 2002)	कलेक्टर, सरगुजा	कलेक्टर, सरगुजा
3.	श्री बृजेश चंद्र मिश्रा, (सीजी: 2002)	कलेक्टर, जांजगीर-चांपा	कलेक्टर, जांजगीर-चांपा
4.	श्री आलोक अवस्थी, (सीजी: 2002)	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवायें.	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवायें.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक ई-1-1/2011/1/2.—पश्चिम बंगाल शासन, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, कोलकत्ता की अधिसूचना क्रमांक 3919-PAR (IAS)/5C-49/2010, दिनांक 29-12-2010 के द्वारा श्री पी. रमेष कुमार, भा.प्र.से. (WB:1986) को दिनांक 1-1-2011 से HAG; 67000-(annual increment @ 3%)- 79000/-(प्रमुख सचिव वेतनमान) छत्तीसगढ़ राज्य में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर होने के फलस्वरूप प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदाय किया गया है.

2. अत: एतद्द्वारा श्री पी. रमेष कुमार, भा.प्र.से. (WB:1986), सचिव, ग्रामोद्योग विभाग एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम को HAG; 67000-(annual increment @ 3%)- 79000/- का लाभ दिनांक 1-1-2011 से देय होगा. उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है एवं प्रबंध संचालक छ. ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (सीजी:1997), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मान. मुख्य मंत्री एवं संचालक, छ. ग. प्रशासन अकादमी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक ई 7-09/2008/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-05-2010 एवं 29-10-2010 के अनुक्रम में सुश्री शम्मी आबिदी, सहायक कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़) को दिनांक 16-11-2010 से 15-12-2010 तक (30 दिवस) का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 16-12-2010 से 14-01-2011 तक (30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 2011 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. आदेश दिनांक 04-05-2010 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-12-2010 द्वारा श्री पी. जॉय उम्मेन, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 27-12-2010 से 07-01-2011 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27-12-2010 से 01-01-2011 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25, 26 दिसंबर 2010 एवं 02 जनवरी 2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. उक्त आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 6-43/2010/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को उपायुक्त वाणिज्यिक कर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 7600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एस. के. बक्शी	कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़.	अपीलीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर रायपुर.
2.	श्रीमती नीलिमा तिग्गा	कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर रायपुर, संभाग क्रमांक-2.	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग.
3.	श्री एच. एल. हिड़को	कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जगदलपुर.	उपायुक्त (प्रवर्तन) वाणिज्यिक कर, बिलासपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2001/1/3, दिनांक 11-02-2008 द्वारा जारी किए गए पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता फीडर केडर में मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-09-2010 द्वारा जारी, उदन्ती-सीतानदी बाघ संरक्षण फाउंडेशन, के संबंध में शासी निकाय गठन अधिसूचना के अनुक्रमांक 6, 7, 8, 9 में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :—

6. **संबंधित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ —**

I	डॉ. सुशांत चौधरी, वैज्ञानिक वन्य जीव संस्थान देहरादून	—	सदस्य
II	डॉ. राजेन्द्र मिश्रा, वैज्ञानिक WTI	—	सदस्य

7. **विधान सभा सदस्य जो राज्य विधान सभा में संबंधित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हों—**

I	श्री डमरूधर पुंजारी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	—	सदस्य
II	श्रीमती अंबिका मरकाम, विधायक, सिहावा	—	सदस्य

8. **बाघ रिजर्व क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार प्राप्त जिला पंचायत के प्रतिनिधि—**

I	श्री अमृतलाल नागेश, जिला पंचायत प्रतिनिधि, मैनपुर	—	सदस्य
II	श्री अशोक सोम, जिला पंचायत प्रतिनिधि, सिहावा	—	सदस्य

9. **फाऊंडेशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (फील्ड निदेशकों/उपनिदेशकों के अलावा)—**

I	श्री भजन सिंह गोंड़, अध्यक्ष संयुक्त वन प्रबंधन समिति जुगाड़	—	सदस्य
II	श्री गणेश राम साहू, संयुक्त वन प्रबंधन समिति गिधवा	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 11-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th January 2011

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of this Department Notification of even number dated 30-09-2010 by which governing body of Udanti-Sitanadi Tiger Conservation Foundation has been consituted, the following persons given at S. No. 6, 7, 8 & 9 of the notification are nominated as member of the Governing body.

6. **Two Prominent scientists or qualified experts in the field—**

I.	Dr. Sushant Chaudhari, Scientists WII Deharadun	—	Member
II.	Dr. Rajendra Mishra, Scientists WTI	—	Member

7. **Member of Legislative Assembly, who represent the concerned area in the State Legislative Assembly—**

I.	Shri Da[illegible]r Pujari, MLA Bindranawagarh	—	Member
II.	Smt. Amb[illegible]kam, MLA Sihawa	—	Member

8. **Representative of the District Panchayat having jurisdiction over the Tiger Reserve area—**

I.	Shri Amritlal Nages, District Panchayat Representative Mainpur	—	Member
II.	Shri Ashok Som, District Panchayat Representative Sihawa	—	Member

9. **Two members of the Executive Committee of the Fundation (other than the Field Director/Deputy Director)—**

I.	Shri Bhajan Singh Gond, President, JFM Committee Jugad	—	Member
II.	Shri Ganesh Ram Sahu, JFM Committee Gidhava	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-09-2010 द्वारा जारी, उदन्ती-सीतानदी बाघ संरक्षण फाउंडेशन, के संबंध में कार्यकारी समिति गठन अधिसूचना के अनुक्रमांक 3 एवं 4 में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :—

3. **बाघ रिजर्व में कार्यरत पारिविकास समिति के दो प्रतिनिधियों का शासी निकाय में नामित व्यक्ति —**

I	श्री भजन सिंह गोंड़, अध्यक्ष संयुक्त वन प्रबंधन समिति जुगाड़	—	सदस्य
II	श्री गणेश राम साहू, संयुक्त वन प्रबंधन समिति गिधवा	—	सदस्य

4. **बाघ रिजर्व के फ्रंटलाइन स्टाफ के दो सदस्य—**

I	श्री लोचनराम निर्मलकर, वनरक्षक, उदन्ती अभ्यारण्य	—	सदस्य
II	श्री बी.एस. राजपूत, उप वनक्षेत्रपाल, सीतानदी अभ्यारण्य	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 11-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th January 2011

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of this Department Notification of even number dated 30-09-2010 by which Executive Committee of Udanti-Sitanadi Tiger Conservation Foundation has been consituted, following persons given at S. No. 3 & 4 of the notification, are nominated as member of executive committee.

3. **Two Representatives of Ecodevelopment Committees Working in the Tiger Reserve—**

I.	Shri Bhajan Singh Gond, President, JFM Committee Jugad	—	Member
II.	Shri Ganesh Ram Sahu, JFM Committee Gidhava	—	Member

4. **Two members of frontline staff of the Tiger Reserve—**

I.	**Shri Lochan Ram Nirmalkar, Forest Guard, Udanti Sanctuary**	—	**Member**
II.	**Shri B. S. Rajput, Dy Ranger, Sitanadi Sanctuary**	—	**Member**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-09-2010 द्वारा जारी, अचानकमार बाघ संरक्षण फाउंडेशन, के संबंध में शासी निकाय गठन अधिसूचना के अनुक्रमांक 6, 7, 8, 9 में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :—

6. **संबंधित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ —**

I	डॉ. सुशांत चौधरी, वैज्ञानिक वन्य जीव संस्थान देहरादून	—	सदस्य
II	डॉ. राजेन्द्र मिश्रा, वैज्ञानिक WTI	—	सदस्य

7. **विधान सभा सदस्य जो राज्य विधान सभा में संबंधित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हों—**

I	श्री धर्मजीत सिंह, विधायक, लोरमी	—	सदस्य

8. **बाघ रिजर्व क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार प्राप्त जिला पंचायत के प्रतिनिधि—**

I	श्रीमती लता वैष्णव, जिला पंचायत प्रतिनिधि, लोरमी	—	सदस्य

9. **फाऊंडेशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (फील्ड निदेशकों/उपनिदेशकों के अलावा)—**

I	श्री खेलनराम सोनवानी, अध्यक्ष, अचानकमार वन प्रबंधन समिति	—	सदस्य
II	श्री प्रताप सिंह, अध्यक्ष, बम्हनी वन प्रबंधन समिति	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 11-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th January 2011

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of this Department Notification of even number dated 30-09-2010 by which governing body of Achanakmar Tiger Conservation Foundation has been consituted, the following persons given at S. No. 6, 7, 8 & 9 of the notification, are nominated as member of the Governing body.

6. **Two Prominent scientists or qualified experts in the field—**

I.	Dr. Sushant Chaudhari, Scientists WII Deharadun	—	Member
II.	Dr. Rajendra Mishra, Scientists WTI	—	Member

7. **Member of Legislative Assembly, who represent the concerned area in the State Legislative Assembly—**

I.	Shri Dharamjeet Singh, MLA, Lormi	—	Member

8. **Representative of the District Panchayat having jurisdiction over the Tiger Reserve area—**

I.	Smt. Lata Vaishnav, District Panchayat Representative, Lormi	—	Member

9. **Two members of the Executive Committee of the Fundation (other than the Field Director/Deputy Director)—**

I.	Shri Khelan Ram Sonwani, President, JFM Committee Achanakmar	—	Member
II.	Shri Pratap Singh, President, JFM Committee, Bamhani	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-09-2010 द्वारा जारी, अचानकमार बाघ संरक्षण फाउंडेशन, के संबंध में कार्यकारी समिति गठन अधिसूचना के अनुक्रमांक 3 एवं 4 में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :—

3. **बाघ रिजर्व में कार्यरत पारिविकास समिति के दो प्रतिनिधियों का शासी निकाय में नामित व्यक्ति —**

I	श्री खेलनराम सोनवानी, अध्यक्ष, अचानकमार वन प्रबंधन समिति	—	सदस्य
II	श्री प्रताप सिंह, अध्यक्ष, बम्हनी वन प्रबंधन समिति	—	सदस्य

4. **बाघ रिजर्व के फ्रंटलाइन स्टाफ के दो सदस्य—**

I	श्री पी. के. सिन्हा, वनपाल, अचानकमार परिक्षेत्र	—	सदस्य
II	श्री देवदत्त खाण्डे, वनरक्षक, सुरही परिक्षेत्र	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 11-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th January 2011

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of this Department Notification of even number dated 30-09-2010 by which Executive Committee of Achanakmar Tiger Conservation Foundation has been consituted, following persons given at S. No. 3 & 4 of the notification, are nominated as member of executive committee.

3. **Two Representatives of Ecodevelopment Committees Working in the Tiger Reserve—**

I.	Shri Khelan Ram Sonwani, President, JFM Committee Achanakmar	—	Member
II.	Shri Pratap Singh, President, JFM Committee Bamhani	—	Member

4. **Two members of frontline staff of the Tiger Reserve—**

I.	Shri P. K. Sinha, Forester, Achanakmar Range	—	Member
II.	Shri Devdutt Khande, Forest Guard, Surhi Range	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 20-89/06/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र-नीति 2010 (एस. ई. जेड. पॉलिसी) संलग्न परिशिष्ट अनुसार लागू करता है.

यह नीति अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010

1.0 **प्रस्तावना**

1.1. चूंकि निर्यात उत्पादन में वृद्धि के लिये आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने मार्च 2000 में एक विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति की घोषणा की तथा मार्गदर्शिका अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (1)3/2001-ई.पी.जेड. दिनांक 24/01/2002 द्वारा, जो कि समय-समय पर संशोधित की गई है, से जारी की है। भारत सरकार ने विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों के गठन एवं संचालन के लिए -विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28वाँ) पारित किया गया है, एवं उसके अधीन नियम भी बनाए हैं, जो केन्द्रीय विनियामक प्रवर्तन अनुमोदन एवं विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के संबंध में शासन की रियायत प्रणाली की रूपरेखा बताते है। इसमें उद्यमी एवं विकासकर्ता की अवधारणा भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कानूनों के अधीन वित्तीय रियायतें प्रदान करना, अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ (ओ.बी.यू.) प्रदान करना आदि समाविष्ट है ।

1.2 चूंकि विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विशेष रूप से सीमांकित भू-क्षेत्र है जो औद्योगिक, सेवा और व्यापारिक गतिविधियों हेतु विदेशी क्षेत्र के रूप में माना जायेगा, जिसमें सीमा शुल्क एवं दरों पर छूट तथा अन्य लेवी, विदेशी निवेश और अन्य लेनदेन के संबंध में एक उदार व्यवस्था होगी। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों में घरेलू प्रतिबंध एवं बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर किया जाएगा जिससे व्यापारिक लेनदेन एवं कार्यों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माहौल बनाया जा सके। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और अधिनियम के अंतर्गत विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों को सार्वजनिक, निजी या संयुक्त उपक्रम क्षेत्र अथवा, केंद्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा विकसित किया जा सकेगा।

1.3. चूंकि विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र/प्रक्षेत्रों का विकास मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर व पैमाने की सुविधाओं और अधोसंरचना की स्थापना करेगा। यह विकासकर्ता विशेश आर्थिक प्रक्षेत्र प्रबंधन के रूप में प्रक्षेत्रों की संकल्पना योजना, वित्त पोषण, निर्माण, संचालन और इनका विपणन निवेशकों को करेगा। विश्वस्तरीय सामाजिक, नागरिक एवं जन उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

1.4 अतः छत्तीसगढ शासन राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है क्योंकि इससे राज्य में आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने एवं रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र को राज्य में आर्थिक विकास का इंजन होने की उम्मीद है ।

1.5 इस विषय में भारत सरकार की नीतियों, दिशा निर्देशों और अधिनियमों, जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों की पृष्ठभूमि में निर्धारित किए गए है, छत्तीसगढ सरकार ने निम्नलिखित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति (S.E.Z.Policy) बनाने का निश्चय किया हैं, ताकि राज्य के विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों की स्थापना संचालन एवं उन्हें निरंतर बनाये रखने के लिए व्यापक ढाँचा प्रदान किया जा सके तथा यह नीति अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होगी।

1.6 ऐसे विषय एवं क्षेत्र जो विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति में शामिल नहीं है, के संबंध में विद्यमान राज्य ढाँचा एवं अधिनियम लागू माने जायेंगे। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना करते समय, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम–1996 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जावेगा।

1.7 छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के मुख्य बिंदु इसके साथ–साथ नीचे उल्लेखित है। सभी शब्दों और अभिव्यक्ति जो यहाँ उपयोग किये गयें है, का वही आशय होगा जो विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम 2005 (2005 का 28 वाँ) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में पारिभाषित किये गये है ।

2.0 **विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र एवं नोडल विभाग**

2.1 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम 2005 (2005 का 28 वाँ) के विषय में तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, छंत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र किसी भी व्यक्ति (जिसमें केंद्र सरकार, राज्य शासन, निजी व्यक्ति, संयुक्तं क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक, निजी, भागीदार प्रारूप में शामिल हैं), द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

2.2 छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र स्थापित करने हेतु राज्य का नोडल विभाग होगा।

3.0 **एकल खिड़की स्वीकृतियां –समाशोधन**

3.1 विकासकर्ता, उद्यमी या अन्य को राज्य में प्रक्षेत्र के विकास, स्थापना, संचालन एवं संधारण के लिये राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत एवं/अथवा जैसा भी राज्य शासन के विभागों एवं एजेंसियों से आवश्यक निर्बाधन, प्राधिकृति, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति, पंजीयन या अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसा भी प्रकरण में लागू हो, यथा समय में अधिनियम के अंतर्गत गठित "एकल खिड़की अनुमोदन समिति" द्वारा दिया जायेगा ।

3.2 भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम 2005 (2005 का 28 वाँ) की धारा 13 के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिये गठित अनुमोदन समिति एकल खिड़की अनुमोदन समिति के रूप में इस तरह के निर्बाधन (Clearance) आदि प्रदान करने के लिये कार्य करेगी ।

3.3 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम 2005 (2005 का 28 वाँ) के अंतर्गत गठित अनुमोदन समिति आवश्यकता होने पर, पूर्व से नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त राज्य शासन के किसी विभाग, संचालनालय अथवा एजेंसी के किन्हीं अधिकारियों को (पदेन अथवा अन्यथा) प्रतिनियुक्ति पर मांग सकेगी अथवा अनुमोदन समिति की सहमति होने पर राज्य शासन उपरोक्त अधिकारियों को नामांकित करने का प्रस्ताव दे सकेगी।

3.4 अनुमोदन समिति, जब ऐसी स्वीकृति आदि देने अथवा संबंधित मामलों पर विचार करते समय राज्य सरकार से किसी भी विभाग, संचालनालय अथवा एजेन्सी के किन्हीं व्यक्तियों अथवा अधिकारियों को जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तथा जिनकी सहायता एव सलाह आवश्यक प्रतीत हो, बैठकों में जैसा उचित समझे, आमंत्रित कर सकेगी।

3.5 एकल खिड़की अनुमोदन समिति राज्य विधायिका से पारित अधिनियमों के अंतर्गत, या राज्य के विभागों, संचालनालयों एवं एजेंसियों के लिये किन्हीं आवश्यक निर्बाधन आदि हेतु विकासकर्ता, उद्यमी अथवा अन्य से विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के विकास, स्थापना, संचालन एवं संधारण तथा प्रक्षेत्र में इकाईयों के लिये आवेदन प्राप्त एवं निराकरण करेगी।

3.6 एकल खिड़की अनुमोदन समिति उसके द्वारा निर्धारित स्वरूप, प्रक्रिया एवं समय सीमा में इस तरह के निर्बाधन आदि प्रदान करने पर विचार करेगी ।

3.7 एकल खिड़की अनुमोदन समिति अपने द्वारा दी गई सभी निर्बाधनों आदि की निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन हेतु पर्यवेक्षण एवं समीक्षा कर सकेगी तथा लागू संबंधित कानूनों के उल्लंघन अथवा अनुपालन न करने पर स्वयं अथवा राज्य शासन को प्रासंगिक प्रयोज्य कानून के अंतर्गत उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा करेगी ।

3.8 एकल खिड़की अनुमोदन समिति स्वयं के द्वारा दिये गये इस तरह के निर्बाधन आदि की निबंधन एवं शर्तों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु किसी एजेंसी को नियुक्त कर सकेगी एवं इस तरह के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा के लिये आवश्यक किसी जानकारी को मंगा सकेगी ।

3.9 एकल खिड़की अनुमोदन समिति द्वारा विकासकर्ता, उद्यमी एवं अन्य को दिये गये निर्बाधन, प्राधिकृति, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति पंजीयन या अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसा भी लागू हो, राज्य शासन के सभी विभाग, उसकी एजेंसी, प्राधिकारी एवं उसके द्वारा नियंत्रित निगमों को मान्य होंगे।

4. **सरलीकृत व्यवसायिक परिवेश**

4.1 राज्य शासन यदि आवश्यक हो, निम्न का निर्धारित कर, या अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी :–

(क) विकासकर्ता, उद्यमी अथवा अन्य द्वारा राज्य की विधायिका द्वारा पारित कानूनों के अंतर्गत, आवश्यक किसी निर्बाधन प्राधिकृति, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति, पंजीयन अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र यथास्थिति प्रकरण हो, प्राप्त करने के लिये एक "संयुक्त आवेदन प्रपत्र"।

(ख) विकासकर्ता, उद्यमी या अन्य द्वारा राज्य की विधायिका द्वारा पारित कानूनों के अंतर्गत वांछित विवरणी या सूचना देने के लिये समेकित प्रपत्र।

(ग) विकासकर्ता उद्यमी या अन्य से राज्य विधायिका द्वारा पारित एक या अधिक कानूनों के अंतर्गत नियतकालिक विवरणी के स्थान पर प्रस्तुत करने के लिये "समेकित वार्षिक प्रतिवेदन या प्रपत्र"।

4.2 एकल खिड़की अनुमोदन समिति को प्रत्येक विकासकर्ता उद्यमी या अन्य द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय और तदपश्चात् नियतकालिक ऐसी आवृति और ऐसे स्वरूप एवं प्रक्रिया जैसी विहित अथवा अधिसूचित की जाय, सूचीबद्ध निजी प्रमाणीकरण एजेंसी की सहायता से एक "स्व–प्रमाणीकरण वचनपत्र" उस समिति को प्रस्तुत करेगा कि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित संबंधित कानूनों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में है एवं बना रहेगा।

4.3 विकास आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति आवश्यकता होने पर पर्यावरण प्रबंधन की समीक्षा के लिये इस तरह के स्वप्रमाणन एवं यादृच्छिक (Random) नमूने के संबंध में भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन करने का अधिकार रखेगा।

5. **पर्यावरण संबंधी विषय**

5.1 राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा दी जाने वाली निर्बाधन एवं सम्मतियों को जारी करने एवं अन्य प्राधिकृत गतिविधियों के लिये एक

प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) प्रक्षेत्र में जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल अधिभार अधिनियम–1977, पर्यावरण (संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986 तथा अन्य अधिनियमों जो कि केंद्रीय तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर लागू किया जाये तथा इनके अधीन पारित किये गये नियम एवं विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी होगा। ऐसा प्राधिकृत अधिकारी एकल खिड़की अनुमोदन समिति में नियुक्त किया जावेगा।

5.2 जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम –1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जानकारी प्राप्त करे, नमूना प्राप्त करे एवं प्रक्षेत्र में प्रवेश कर इकाईयों के परिसर में निरीक्षण कर ऐसे कार्य करे जो उक्त अधिनियमों के अध्यधीन उपयुक्त समझे जावे एवं जैसे सीईसीबी द्वारा प्रत्यायोजित किये जाये।

6 **श्रम विनियमन**

6.1 राज्य शासन, प्रक्षेत्र, इकाईयों एवं विकासकर्ता द्वारा नियोजित कर्मकारों के संबंध में विकास आयुक्त को श्रम आयुक्त के सभी अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व प्रत्यायोजित करेगी।

6.2 राज्य सरकार जहां भी आवश्यक होगा श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों को विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में रखेगी।

6.3 विकास आयुक्त एकल खिड़की सेवा प्रदान करने हेतु श्रम कानूनों के अन्तर्गत उपयुक्त अधिकारी को निरीक्षण, सुलह अधिकारी एवं पंजीकरण अधिकारी के अधिकार प्रत्यायोजित कर सकेगा।

6.4 उदारीकरण की प्रकिया के तहत विभिन्न आवधिक रिटर्न (त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आदि) दाखिल करने हेतु एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट (सीएआर) निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत बनायी जावेगी।

(1) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
(2) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
(3) फैक्ट्री अधिनियम, 1948
(4) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
(5) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961,
(6) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
(7) संविदा श्रम (विनियम एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970

विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की इकाईयों के लिए विकास आयुक्त के समक्ष वार्षिक समेकित रिपोर्ट (सी.ए. आर) दाखिल करना आवश्यक होगा। प्रक्षेत्र की इकाईयों के लिए सामयिक रिटर्न फाईल करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

6.5 विकास आयुक्त निकटवर्ती राज्यों में मजदूरी, उद्योग की उत्पादकता और प्रक्षेत्र के हितकारियों/ कर्मचारी प्रतिनिधियों से विचार कर प्रक्षेत्र के भीतर कुशल, अर्धकुशल कार्मिक श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर सकेगा।

6.6 विकास आयुक्त द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण हेतु अधिसूचित एजेन्सियों को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए निरीक्षण की अनुमति प्रदान की जाएगी।

6.7 छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत 365 दिन 24 घंटे के भीतर प्रत्येक ऐसे दिन में उपयुक्त छूट दी जाएगी बशर्ते कि उपयुक्त पारिश्रमिक और ओवरटाईम भत्ते का भुगतान किया जाता है।

6.8 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रयोजनों के लिए परिक्षेत्र एवं उसमें स्थापित इकाईयों को "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" घोषित किया जाएगा।

7.0 **विद्युत एवं जल**

7.1 विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अध्यधीन विकासकर्ता/सहविकासकर्ता को प्रक्षेत्र के भीतर एवं प्रक्षेत्र के बाहर विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी।

7.2 विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रक्षेत्र की इकाई/इकाईयों द्वारा स्वयं अथवा अन्य औद्योगिक इकाईयों के साथ सहयोग से केप्टिव उपयोग एवं अन्य इकाईयों को विद्युत के विक्रय/आपूर्ति के लिये विद्युत उत्पादन हेतु अधिकृत होगी।

7.3 विकासकर्ता को प्रक्षेत्र के भीतर जल दोहन, उपचार, पारेषण एवं वितरण के लिये व्यवस्था एवं सुविधाएं विकसित करने की अनुमति दी जावेगी, यदि इस बाबत् निर्धारित मानक पूर्ण एवं अनुपालित किये गये हो। विकासकर्ता को यह भी अनुमति दी जावेगी कि प्रक्षेत्र के भीतर जल आपूर्ति के लिए प्रशुल्क दर/संधारण प्रभार तय करें एवं संग्रह करें। विकासकर्ता को जल की आपूर्ति एवं वितरण के लिये निकासी बिंदु (राज्य स्तरीय समिति के आबंटन अनुसार) से प्रक्षेत्र तक व्यवस्थाएं करनी होंगी, यह शासन की वर्तमान में लागू नीति के अनुसार की जायेंगी किंतु प्रक्षेत्र के भीतर जमीनी/सतही जल का उपयोग राज्य एवं राष्ट्रीय जल नीति के अधीन ही होगा।

7.4 विकासकर्ता को विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र एवं प्रक्षेत्र की इकाईयों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के विकास का अनुमोदन राष्ट्रीय एवं राज्य की जल नीति के अधीन प्रदान किया जावेगा।

8. वित्तीय रियायतें

8.1 खंड 8.2 के प्रावधानों के अधीन विकासकर्ता एवं इकाईयों को उनके प्राधिकृत प्रचालन के लिये आवश्यक माल एवं व्यावसायिक संव्यवहारों पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा अधिरोपित करें(मंडी शुल्क को छोडकर), राज्य एवं स्थानीय कर, लेव्ही व शुल्क जिसमें स्टांप शुल्क, मूल्य आवर्धित कर, प्रवेश कर, गौण खनिजों पर रायल्टी एवं उपकर, संपत्ति एवं गृहकर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, वृत्ति कर, विद्युत के उपभोग व विक्रय पर देय विद्युत शुल्क व उपभुक्त विद्युत पर देय उर्जा विकास उपकर से छूट की पात्रता रखेगा।

8.2 राज्य सरकार कंडिका 8.1 के अधीन छूट/रियायतें प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, शर्तें एवं नियम निर्धारित या अधिसूचित कर सकेगी।

9 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र का प्रशासन

9.1 राज्य सरकार विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र को एक "औद्योगिक नगरी प्राधिकरण" घोषित करेगा जो कि वर्तमान पंचायतों को प्रतिस्थापित कर देगा। ऐसे समस्त स्थानीय संस्थाऐं समस्त शक्तियों के साथ औद्योगिक नगरी प्राधिकरण में वेष्ठित हो जायेगी एवं वर्तमान प्राबधानों के अनुसार समस्त कार्य संचालित करेगी। राज्य सरकार इस प्रक्षेत्र में जोन विकासकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही जन उपयोगी सेवाओं या प्रदान किये जाने हेतु एक अधिसूचना जारी कर प्रक्षेत्र को औद्योगिक नगरी प्राधिकरण घोषित करेगी। जोकि राज्य शासन की अनुमति से आवश्यकतानुसार शुल्क अधिरोपित कर सकेगी।

9.2 विकासकर्ता शहरीय प्रयोजन, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक प्रबंधन, नियोजन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं एवं मापदण्डों के अनुरूप विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र मास्टर प्लान तैयार करेगा या करायेगा।

10. निरीक्षण एवं प्रवर्तन

10.1 राज्य सरकार, राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी या एजेन्सी को एक विकासकर्ता या उद्यमी या अन्य द्वारा पारित प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण या निरीक्षण करने हेतु निर्दिष्ट कर सकेगी एवं ऐसे अधिकारी एवं एजेन्सी ऐसी रीति से एवं ऐसे समय के भीतर जैसा अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो सत्यापन अथवा अनुपालन रिपोर्ट जमा करेगा।

10.2 राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी कार्य या चूक जिसे विधायिका द्वारा पारित कर कानून के अन्तर्गत दण्डनीय बनाया गया है, प्रक्षेत्र के संबंध में अधिसूचित अपराध निर्दिष्ट कर सकेगी।

10.3 राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी या एजेन्सी को प्रर्वतन अधिकारी या एजेन्सी के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो प्रक्षेत्र में अधिसूचित अपराध या कारित अपराध के संबंध में प्रवर्तन अधिकारी या एजेन्सी होगी।

10.4 कंडिका 10.3 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या एजेन्सी को अधिसूचित अपराध के संबंध राज्य विधान मंडल व्दारा पारित कानूनों के अन्तर्गत प्रदत्त जांच निरीक्षण, खोज एवं जब्ती के सभी संगत शक्तियां प्राप्त होगी।

10.5 ऊपर निर्दिष्ट एजेन्सी या अधिकारी राज्य सरकार एवं संबंधित विकास आयुक्त को पूर्व सूचना के साथ अगर ऐसी एजेन्सी या अधिकारी को विश्वास करने का कारण है (कारण लिखित रूप में दर्ज हो) की जोन के भीतर अधिसूचित अपराध कारित किया गया है या कारित किये जाने की संभावना है, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में या इकाई में जांच, खोज एवं जब्ती की कार्यवाही कर सकेगी।

11. **विकासकर्ता के कार्य**

11.1 प्रचलित कानूनों एवं विकासकर्ता की नियुक्ति अधिसूचना जारी कर विकासकर्ता को नियुक्त किया जावेगा। नियमों एवं शर्तो के अधीन रहते हुए विकासकर्ता प्रक्षेत्र का नियोजित विकास सुनिश्चित करेगा एवं प्रक्षेत्र की स्थापना, प्रबंधन, संचालन एवं संधारण के लिये बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।

11.2 विकासकर्ता की नियुक्ति एवं विकासकर्ता के रूप में अधिसूचना की शर्तो के अधीन रहते हुए विकासकर्ता विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र मास्टर प्लान के अनुसार प्रक्षेत्र में भूमि के उपयोग का नियमन करेगा एवं उसको प्रक्षेत्र में समय–समय पर पट्टा, उप–पट्टा लायसेंस एवं अन्य माध्यम से भूमि, भवन, रिक्त स्थान या प्रक्षेत्र के प्रतिष्ठानों को हस्तान्तरित करने की, दर तय करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

11.3 विकासकर्त्ता का उत्तरदायित्व, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बुनियादी सुविधाएं, जो प्रक्षेत्र में आवश्यक हो, की व्यवस्था करना होगाः–

(क) विद्युत का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण,
(ख) जल दोहन, उपचार, पारेषण एवं वितरण,
(ग) अपशिष्ट जल उपचार और ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन,
(घ) सड़कों, पुलों, ओव्हरब्रिज, परिवहन सेवाओं और परिवहन प्रणाली के प्रावधान,
(ड) सामान्य क्षेत्रों में ईकाई स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रक्षेत्र के भीतर हरित क्षेत्र एवं वृक्षारोपण का विकास ।
(च) गैस वितरण प्रणाली के प्रावधांन,
(छ) कोई अन्य सार्वजनिक सुविधा या सेवा जैसा आवश्यक हो,

11.4 विकासकर्ता, प्रक्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं स्वयं प्रदान कर सकेगा या सहविकासकर्ता, आपरेटर या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कर सकेगा।

11.5 जहां कहीं भी विकासकर्ता द्वारा कंडिका 11.3 या 11.4 के अन्तर्गत बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं या 11.4 में निर्दिष्ट व्यक्ति को विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम 2005 (2005 का 28वाँ) एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अध्ययीन ऐसी प्रदत्त सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभार, मांग, एकत्र, प्रतिधारण एवं उपयोगकर्ता से सेवा शुल्क, फीस, टैरिफ या किराया वसूलने का अधिकार होगा।

12. **विकासकर्ता के दायित्व**

12.1 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकासकर्ता स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेगा एवं ऐसे लोगों के लिए कुशल प्रबंधकीय प्रशिक्षण का आयोजन करेगा ।

12.2 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकासकर्ता कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार समग्र आधार पर स्थानीय लोगों को प्रदान करेगा।

12.3 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकासकर्ता स्थानीय लोगों को उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेगा एवं विक्रेता उद्यमों की स्थापना के लिऐ सुविधा प्रदान करेगा।

12.4 विकासकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र का क्रियान्वयन नहीं करने की स्थिति में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकासकर्ता इस नीति के अन्तर्गत प्राप्त राजकोषीय प्रोत्साहन/लाभ को छत्तीसगढ़ शासन को वापस भुगतान करेगा।

12.5 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकासकर्ता जल संरक्षण के लिए समस्त उपाय एवं सुविधा सुनिश्चित करेगा।

12.6 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकासकर्ता आस–पास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपाय एवं सुविधा सुनिश्चित करेगा।

13. अन्य

13.1 **कानून एवं व्यवस्था** : राज्य शासन विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगी।

13.2 विशेष न्यायालय: उच्च न्यायालय के अनुमोदन से विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए जैसा आवश्यक हो विशेष न्यायालयों को विशेष क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया जावेगा।

13.3 **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) का पंजीकरण** : विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की इकाईयों के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से उद्यमी ज्ञापन स्वीकार करने की शक्तियां विकास आयुक्त को सौंपी जावेगी।

14. **सशक्त समिति**

14.1 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति राज्य के विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के विकास, संचालन एवं कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करेगी, अपेक्षित सुविधा प्रदान करेगी एवं समय–समय पर राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करेगी।

15. **संशोधन–**

15.1 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के किसी अन्य प्रावधान में निहित होते हुए भी राज्य सरकार किसी भी समय इस नीति में संशोधन कर सकती है एवं इस विशेश आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के किसी प्रावधान के विसंगतियों को दूर करने एवं स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए निर्देश एवं दिशा–निर्देश जारी कर सकेगी।

State Policy on Chhattisgarh Special Economic Zone

Government of Chhattisgarh

Department of Commerce and Industries

1.0 Preamble

1.1 Where as for augmenting infrastructure facilities for export production the Government of India (GOI) have announced a Policy of Special Economic Zones during March, 2000 and notified guidelines vide NO. F.2(1)/3/2001-EPZ dated 24.1.2002, as amended from time to time. GOI have enacted legislation on special Economic Zones - the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and made rules there under, which outline the central regulatory, approval enforcement and concession regime in relation to Special Economic Zones, cover the concepts of the Developer and Entrepreneur, provide for fiscal concessions under the laws enacted by GOI, provide for offshore Banking Units (OBUs) etc

1.2 Where as the Special Economic Zones are specifically delineated enclaves treated as foreign territory for the purpose of industrial, service and trade operations, with relaxation in customs duties and tariffs and a more liberal regime in respect of other levies, foreign investments and other transactions. Domestic restrictions and infrastructure inadequacies would be removed in the Special Economic Zones to create an internationally benchmarked environment for business transactions and operations. Under the GOI guidelines and legislation, the Special Economic Zones can be developed in the public-private or joint sector domains, or by State Government / Central Government.

1.3 Where as the development of the Special Economic Zone(s) will primarily be led by the private sector Developers, who shall establish international class and scale facilities and infrastructure. These Developers will act as SEZ managers in designing, planning, financing, building operating and marketing the Zones to investors. The Developer would endeavour to provide world-class utilities, social and municipal services.

1.4 Therefore the Government of Chhattisgarh resolves to facilitate setting up of Special Economic Zones in the State as the same are expected to boost the economic and industrial development of the State and generate new employment opportunities. The SEZs are expected to be engines for economic growth in the State.

1.5 For this purpose, with the background of the GOI policies, guidelines and laws and subject to the framework for Special Economic Zones determined by the GOI from time to time, the Government of Chhattisgarh has decided to formulate the following Special Economic Zone Policy (SEZ Policy) to provide a comprehensive frame work for establishment, operation and sustainability of Special Economic Zones in the State and shall be effective from the date of publication of notification in the official gazette.

1.6 For issues and areas not covered by the SEZ Policy, the prevailing State framework and legislation will be deemed to be in force. At the time of establishment of Special Economic Zone provision's of PESA Act. 1996 shall be followed.

1.7 The main points of the SEZ Policy of the State of Chhattisgarh are outlined herein below. All words and expression used herein but defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and the rules made there under, shall have the meaning respectively assigned to them therein.

2.0. SEZs and Nodal Agency

2.1 Subject to the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and rules made there under, the Special Economic Zones may be established in the State of Chhattisgarh by any person, including the State Government / Central Government, private person, in the joint sector or under the public private partnership format (the Zones or SEZs).

2.2 Commerce and Industries Department shall be the nodal department/agency of the Government of Chhattisgarh for the SEZs set up in the State.

3.0 Single Window Clearance

3.1 The Single Window Approval Committee as constituted under the Act shall grant timely clearances, authorizations, approvals, licences, registrations or no objection certificates, as the case may be, under the laws enacted by the State Legislature and/or as may be required by the departments and agencies of the State Government, to the Developer, Entrepreneur or others in relation to the development, establishment and operation and maintenance of the Zones in the State.

3.2 The Approval Committee constituted in respect of each Zone by the Central Government under the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005) shall also function as a Single Window Approval Committee for granting such clearances etc.

3.3 The Approval Committee may, in addition to the members already nominated under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), seek deputation to it of such officers (ex-officio or otherwise) from any department, directorate or agency of the State Government as the Approval Committee considers necessary or as the State Government offers to nominate subject to the Approval Committee's acceptance.

3.4 The Approval Committee may, when considering the grant of such clearance etc., or matters related thereto, invite at its meetings such persons or officers of and representatives from any department, directorate or agency of the State Government that is not represented therein, as it deems fit, whose assistance or advice it may consider necessary.

3.5 The Single Window Approval Committee shall receive applications from and grant to the Developer, Entrepreneur or other all such clearances etc. that may be required under the laws enacted by the State Legislature or by the concerned State departments, directorates and agencies in relation to the development, establishment, operations and maintenance of the Zone, and of units in the Zone.

3.6 The Single Window Approval Committee shall consider grant of all clearances etc., in such form and manner and within such time as may be prescribed by it.

3.7 The Single Window Approval Committee shall supervise and monitor compliance of the terms and conditions of all such clearances etc. granted by it and may take or recommend to the State Government, appropriate action under the relevant applicable law for breach or non-compliance thereof.

3.8 The Single Window Approval Committee may appoint any agency to supervise and monitor compliance of the terms and conditions of all such clearances etc. granted by it and may call for any information required for such supervision and monitoring.

3.9 All departments of the State Government and its agencies and the authorities and corporations controlled by it shall accept the clearance, authorizations, approvals, licences registrations or no objection certificates, as the case may be, granted by the Single Window Approval Committee to the Developer, Entrepreneur or others.

4.0 Simplified Business Environment

4.1 The state Government may, if required, prescribe or by notification specify, -

(a) a common application form for obtaining any clearance, authorization, approval, licence, registration or no objection certificated, as the case may be, by the Developer, Entrepreneur or other under the laws enacted by the State Legislature;

(b) a single form for furnishing returns or information by the Developer, Entrepreneur or others under one or more laws enacted by the State Legislature;

(c) the form or a consolidated annual report for submission by the Developer, Entrepreneur or other instead of periodical return under one or more the laws enacted by the State Legislature.

4.2 Every Developer, Entrepreneur or other shall at the time of submitting the application form to the Single Window Approval Committee and periodically thereafter, at such frequency and in such form and manner as may be prescribed or notified, furnish to such committee a self certification with the assistance of empanelled private certification agencies undertaking that it is in and shall remain in compliance with the applicable provisions of the relevant laws enacted by the State Legislature.

4.3 The Development Commissioner or the person authorized by him shall, if required have the right to carry out physical inspection and verification in relation to such self certifications and random sampling monitoring for environmental management.

5.0 Environment Related Matters

5.1 The State Government may, by notification, empower an officer of the Chhattisgarh Environment Conservation Board (hereinafter the "empowered officer") with the powers of the Chhattisgarh Environment Conservation Board to grant clearances and consent for authorized operations in the zones, including and establishment and operation of units, under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act

1977, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and the Environment (Protection) Act, 1986 and other such acts enacted by the Central and State Government from time to time and the rules or regulations made there under. Such empowered officer shall be deputed to the Single Window Approval Committee.

5.2 The empowered officer may conduct inspections of the unit in the Zone to verify the compliance of the environmental standards as required under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act., 1986 and the rules or regulations framed there under.

6.0 Labour Regulation

6.1 The State Government shall delegate the powers, duties and function conferred on the Commissioner of Labour, Government of Chhattisgarh, to the Development Commissioner in respect of the area with the Zone, the units and the workmen employed by the Developer.

6.2 The State Government shall, wherever necessary, place officers and personnel of the labour department of the State under the administrative control of the Development Commissioner.

6.3 The Development Commissioner may delegate appropriate officer as inspectors, conciliation officers and registration officers under the labour laws to provide single window service

6.4 As a part of liberalization process for filling returns, a Consolidated Annual Report (CAR) has been designed, consolidating various periodical returns (quarterly, half yearly etc.) under following Acts.

1. Workmen Compensation Act, 1923
2. Payment of Wages Act, 1936
3. Factories Act, 1948
4. Minimum Wages Act, 1948
5. Maternity benefit Act, 1961
6. Payment of Bonus Act, 1965
7. Contact Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970

The unit in SEZ will be required to file annually Consolidated Annual Report (CAR) with the Development Commissioner. The units in SEZ will not be required to file periodically separate returns,

6.5 The Development Commissioner may fix minimum wages for skilled, semi-skilled and unskilled categories of workers within the zone taking into consideration the existing wages in the neighbouring states, productivity of the industry and various stakeholders in the Zone, including worker representatives.

6.6 For inspections relating to workers health and safety units will be permitted to obtain inspection reports from accredited agencies as may be notified by the Development Commissioner..

6.7 Suitable exemptions shall be made under the Chhattisgarh Shops and Establishments Act, 1958 to make possible 365 working days with 24 hours in each such day; provided that suitable remuneration and overtime allowances are paid.

6.8 The Zone and all units and establishment therein shall be declared as a "Public Utility Service" under and for the purposes of the Industrial Disputes Act, 1947.

7.0 Power and Water

7.1 Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003, the Developer/Co-Developer shall have full freedom to generate, transmit and distribute power within a Zone and outside the zone.

7.2 The units shall be entitled to generate electricity, either individually or in association with other units for the captive use and consumption of such unit or units, a the case may be, or to sell or supply electricity to other units in the Zone in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003.

7.3 The Developer shall be permitted to set up system and facilities for water extraction, treatment, transmission and distribution within the Zone, provided that applicable standards in this regard are fully met and complied with. The Developer shall also be permitted to fix and collect the tariff/user charges for supply of water within the Zone. The Developer shall arrange the supply and distribution of water from off-take point (As per allocation of the state level committee) to the SEZ. This will be done as per the policy prevalent in the Government. Provided that, the use of ground/surface water within the SEZ will be subject to State and National Water Policy.

7.4 The Developer will be granted approval for development of water supply and distribution system to ensure the provision of adequate water supply for the SEZ and the units subject to state and national water policy.

8.0 Fiscal Concessions

8.1 Subject to the provisions of Clause 8.2 the Developer and the units shall be entitled to exemption from the State and local taxes(Except Mandi Tax), levies and duties, including stamp duty, value added tax, entry tax, royalty/cess on minor minerals, property and house tax, luxury tax, entertainment tax, professional tax, electricity duty on sale and consumption of electricity and energy development charges on consumption of electricity and taxes levied by local bodies on transactions and goods required for authorized operations by the Developer or a unit.

8.2 The State Government may prescribe or notify the manner in which, and the term and conditions subject to which, the exemptions or concessions shall be granted under clause 8.1.

9.0 Administration of SEZ

9.1 The State Government shall declare the SEZ as a Industrial Township Authority that will replace the existing panchayats. Such Industrial Township Authority will be vested with all the powers and shall carry out all the functions in the existing provisions. The State Government may, having regard to the area and the municipal

services being provided or proposed to be provided in the Zone by the Developer, by notification, declare the Zone to be industrial township authority, who can levi fees with the prior permission of state government.

9.2 The Developer shall prepare or cause preparation of the SEZ Master Plan in accordance with the international best practices in town planning and environment and social management planning norms.

10.0 Inspection and Enforcement

10.1 The State Government may, by notification, specify any officer or agency to carry out surveys or inspection for securing of compliance with the provisions of any laws enacted by the State Legislature, by a Developer, Entrepreneur or other and such officer or agency, shall submit verification and compliance reports, in such manner and within such time as may be specified in such notification.

10.2 The State Government may, by notification, specify any act or omission made punishable under any law enacted by the State Legislature as notified offence in relation to the Zone.

10.3 The State Government may, by general or special order, authorize any officer or agency to be the enforcement officer or agency in respect of any notified offence or offences committed in a Zone.

10.4 Every officer or agency authorised under Clause 10.3 shall have all the corresponding powers of investigation, inspection or search or seizure as is provided under the relevant law enacted by the State Legislature in respect of the notified offences.

10.5 The agency or officer specified above, may, with prior intimation to the State Government and the Development Commissioner concerned, carry out the investigation, search or seizure in the Special Economic Zone or in a unit if such agency or officer has reasons to believe (reasons to be recorded in writing) that a notified offence has been committed or is likely to be committed in the Zone:

11.0 Functions of Developer

11.1 Subject to the provisions of the applicable laws and the terms and conditions governing the Developer's appointment and notification as a Developer, the Developer shall secure the planned development of the Zone and provide the infrastructure facilities for the establishment, management and operation and maintenance of the Zone.

11.2 Subject to the terms and conditions governing the Developer's appointment and notification as a Developer, the Developer shall regulate the land usage in the SEZ in accordance with the SEZ Master Plan and be at liberty to fix and rates for the transfer of land, building, built up spaces or installations in the Zone from time to time by way of lease, sub-lease, grant of licenses or otherwise.

11.3. It shall be the responsibility of the Developer to arrange for, inter alia, the following **infrastructure facilities, as may be required, in the Zone:-**

(a) generation, transmission and distribution of electricity;

(b) water extraction, treatment, transmission and distribution;

(c) waste water treatment and solid and hazardous waste management;

(d) provision of roads, bridges and over-bridges, transportation services and transportation systems;

(e) development of green belts and afforestation within the Zone to meet the unit level requirements in a common area;

(f) provision for gas distribution network;

(g) any other public facility or service of similar nature as may be required.

11.4. The Developer may provide infrastructure facilities in the Zone by itself or arrange the same through a Co-Developer, operator or any other person.

11.5. Where any infrastructure facility is provided by the Developer under Clause 11.3 or 11.4 the Developer or the person specified in Clause 11.4 shall, subject to the provisions of the Special Economic Zones Act, 205 (28 of 2005) and the rules made there under, have the power to charge, demand, collect, retain and appropriate the user or service charges, fees, tolls, tariff or rentals for the use of the services so provide.

12.0 Responsibility of developer

1.1. The SEZ developer will train the local persons and organize skilled managerial training for such people.

1.2. The SEZ developer will provide at least 50% jobs to local people on overall basis.

1.3. The SEZ developer will provide entrepreneurship development training to the local people and facilitate setting up of vendor enterprises.

1.4. The SEZ developer shall pay back all the fiscal incentives / benefits availed under this policy to the Government of Chhattisgarh in case developer does not implement SEZ.

1.5. The SEZ developer shall ensure and facilitate all measures for water conservation.

1.6. The SEZ developer shall ensure and facilitate all measures for environment conservation to maintain the ecological balance of the surrounding areas.

13.0 Others

13.1 Law and Order: The State Government will make appropriate arrangements for the SEZs for maintenance of law and order.

13.2 Special Courts: Special territorial jurisdiction shall be accorded to special courts as necessary in the SEZs with the approval of High Court.

13.3 Registration of MSME: The power to accept Entrepreneurs Memorandum from micro, small and medium enterprises (MSME) will be delegated to the development commissioner in respect of units in SEZ.

14.0 Review Committee

14.1 The empowered committee on SEZ headed by Chief Secretary will resolve various issues pertaining to the development, operation and functioning of SEZs in the State, to provide the requisite facilitation and to periodically review the progress of the SEZs in the State:

15.0 Amendments

15.1 Notwithstanding anything contained in any other provision of the SEZ Policy, the State Government may at any time make any amendments in this policy and issue instructions and guidelines to facilitate the implementation of, remove anomalies in and provide clarifications to the provisions of this SEZ Policy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/01/अ-82/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	जेवरी प. ह. नं. 32	0.34	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.).	जेवरी-बहिंगा मार्ग पर स्थित करूआ पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2011

क्रमांक/145/अ. भू-अ.प्र./04/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	साल्हेखुर्द प. ह. नं. 01	0.06	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	साल्हे जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्रमांक 26/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गिरारी	20.93	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	अपरखुज्जी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक 9/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	रूमगा	2.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन की नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्रमांक 10/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	मटियाडांड़	4.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन की माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 01/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खांने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	हरदीकला टोना	0.99	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्रमांक/कब्वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./4/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सड्डू - प. ह. नं. 109	226/1	1.965	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, संभाग-4 शंकरनगर, रायपुर.	विभिन्न आय वर्ग हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			226/2	3.557		
			226/3	0.295		
			226/4	0.304		
			226/6	0.426		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			226/16	0.269		
			226/17	0.150		
			226/21	0.246		
			226/22	0.369		
			226/27	1.112		
			226/29	0.255		
			226/30	0.256		
			226/31	0.290		
			226/32	0.308		
			226/33	0.485		
			226/34	0.228		
			226/35	0.251		
			226/36	0.228		
			226/37	0.223		
			226/38	0.266		
			226/39	0.262		
			226/45	0.214		
			226/46	0.218		
			226/47	0.300		
			226/49	0.262		
			226/50	0.241		
			226/55	0.255		
			226/56	0.279		
			226/57	0.269		
			226/58	0.405		
			226/52	0.230		
			226/28	2.273		
			228	0.219		
			229	0.162		
			230	0.162		
			236/1	0.031		
			237/1	0.055		
			237/2	0.095		
			239/2	0.010		
			241/3	0.010		
			242/3	0.056		
			238	0.045		
			239/1	0.158		
			239/2	0.042		
			242/2	0.015		
			243	0.101		
			240	0.154		
			241/1	0.105		
			242/1	0.030		
			244/1	0.243		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			244/2	0.243		
			245/2, 247/3	0.206		
			246/1	0.072		
			249/1	0.009		
			250/1	0.072		
			252/1	0.100		
			253/1	0.071		
			254	0.105		
			257	0.243		
			231/1, 231/4	0.244		
			231/2	0.015		
			232/2	0.030		
			233	0.053		
			235/3	0.073		
			231/3	0.260		
			231/5	0.168		
			232/1	0.023		
			234	0.053		
			235/1	0.082		
			235/2	0.047		
			236/2	0.090		
			241/2	0.047		
			245/1	0.004		
			246/2	0.074		
			247/1	0.073		
			247/2	0.073		
			247/4	0.073		
			248/3, 249/2	0.093		
			248/4	0.070		
			249/3	0.070		
			250/3	0.010		
			251/2	0.013		
			249/4	0.060		
			251/3	0.026		
			252/2	0.007		
			251/3	0.045		
			253/3	0.028		
			251/4	0.025		
			252/3	0.035		
			253/3	0.010		
			258	0.445		
			259/1	0.538		
			259/2	0.538		
			262	0.324		
			264/1	0.004		
			264/2	0.004		
			264/3	0.004		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			264/4	0.004		
			264/5	0.008		
			264/6	0.004		
			265/2	0.053		
			248/1	0.073		
			248/2, 250/2	0.093		
			417/5	0.032		
			417/6	0.032		
			417/7	0.142		
			417/8	0.065		
			417/9	0.032		
		योग		23.874		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक/303/भू-अर्जन/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रतनभाट, प. ह. नं. 67
- **(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.770 हेक्टेयर**

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
106/1	0.004
93/63	0.081
94/2	0.089
94/1	0.089
93/60	0.081
93/50	0.142
93/59	0.061
93/52	0.222
90/4	0.040
90/5	0.073
45/2	0.101
45/3	0.121
90/1	0.121
46	0.121
52/2	0.081
49/1	0.181
47/1	0.081
47/2	0.081
योग 18	1.770

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मटिया मोती नाला डायवर्सन योजना के बायींतट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक/304/भू-अर्जन/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-महरूम, प. ह. नं. 67
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.869 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	274/1	0.405
	266/6	0.065
	235/3	0.040
	235/4	0.020
	234/4	0.061
	235/5	0.008
	236/7, 236/29	0.081
	230/50	0.162
	230/55	0.081
	230/57	0.049
	230/56	0.040
	230/45	0.121
	230/28	0.061
	230/68	0.040
	230/73	0.041
	230/44	0.121
	230/76	0.081
	230/67	0.162
	229/5	0.081
	229/1	0.129
	235/6	0.020
योग	21	1.869

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मटिया मोती नाला डायवर्सन योजना के बायींतट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक/305/भू-अर्जन/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लतमर्रा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.00 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	24/1	3.00
योग		3.00

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहझरी जलाशय के डुबान में अर्जित भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन् अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/01/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-मुरता, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	39	0.01
	41	0.07
	149/2	0.02
योग	3	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लालपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/04/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-भिलौनी, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.49 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	564/2	0.06
	564/1	0.20
	565	0.08
	1131	0.26
	1141	0.23
	1142	0.12
	1143	0.06
	1166/1	0.24
	1166/2	0.24
योग	9	1.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिगुआ जलाशय के डूबान क्षेत्र में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.